हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
शैक्षणिक परिसर | Academic Campus

क्रमांक प. (75): डीएसडब्ल्यू/चुनाव/2022/ 3936

दिनांक: 18 अगस्त 2022

छात्र संघ चुनाव आचार संहिता (2022-23)

छात्र संघ के किसी भी पद के उम्मीदवार और उनके समर्थकों/एजेंट्स को निम्नलिखित आचार संहिता का पालन पालन करना होगा।

1. कोई भी प्रत्याशी ऐसी किसी गतिविध में शामिल नहीं होगा जो विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों में जाति, समुदाय आदि के आधार पर वैमनस्य पैदा करे।
2. अन्य प्रत्याशियों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ही की जा सकेगी, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की आलोचना अपुष्ट आरोपों के आधार पर नहीं की जानी चाहिए।
3. मत हासिल करने के लिए जाति या समुदाय के आधार पर अपील नहीं की जानी चाहिए। परिसर या परिसर के बाहर पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रोपगेंडा के लिए उपयोग प्रतिबंधित है।
4. सभी प्रत्याशियों के लिए ऐसी गतिविधियों जिनको 'भ्रष्ट आचरण' में गिना जाता है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, दूसरे के स्थान पर वोट डालना, मतदान स्थल से मतदाताओं के लिए किसी भी प्रकार की परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना आदि में शामिल होना प्रतिबंधित है।
5. मुद्रित पोस्टर, पम्फलेट आदि का उपयोग वर्जित है। केवल हस्तनिर्मित पोस्टर/बैनर का उपयोग करें।
6. नारेबाजी, शोर-शराबा या एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। विवि परिसर में चलने वाली कक्षाओं, पुस्तकालय आदि में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए।
7. विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रैली आदि निकालने पर प्रतिबंध है। विश्वविद्यालय परिसर से बाहर चुनाव अभियान राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित है।
8. सार्वजनिक होर्डिंग, ट्रैफिक सिग्नल, मील के पत्थर, संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी दीवारों पर पोस्टर नहीं चिपकाएं और ना ही कुछ लिखें।

9. विश्वविद्यालय की चारदीवारी, प्रांगण, इमारतों, सीढ़ियों आदि पर पोस्टर नहीं चिपकाएं और विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएं।
10. चुनाव के दौरान परिसर में सभा या रैली के दौरान अकादमिक गतिविधयां बाधित नहीं होनी चाहिए। सभा या रैली विश्विविद्यालय प्रशासन से लिखित स्वीकृति के बाद ही आयोजित की जा सकती है। वाहनों, लाउडस्पीकर आदि का उपयोग प्रतिबंधित है।
11. मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सहयोग करेंगे। मतदान के दिन पानी को छोड़कर किसी भी प्रकार का खाद्य या पेय पदार्थ परिसर में वितरित नहीं किया जाएगा।
12. मतदान के दिन मतदाताओं के अलावा मतदान स्थल पर केवल मुख्य चुनाव अधिकारी से अधिकृत पास वाले व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा।

18/8/22
शालिनी जोशी
छात्र कल्याण अधिष्ठाता

डॉ. रतन सिंह शेखावत
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्रमांक प. (75): डीएसडब्ल्यू/चुनाव/2022/ 3937

दिनांक: 18 अगस्त 2022

प्रतिलिपि: कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

डॉ. रतन सिंह शेखावत
मुख्य निर्वाचन अधिकारी